(ii) A Nodal Cell has been set up in National Housing Bank for coordinating decisions on policies and procedures relating to NRI investment with representation of all concerned agencies and nominess of State Government. This will be supervised by Ministry of Urban Development.

(iii) A joint sector Rating Agency will be set up to grant approved status/accredition to public and private builders conforming to established criteria.

(iv) On the strength of the approved status of builders, necessary clearances in respect of the builders project will be given for the construction and provision of services at the local level by State and city agencies.

(v) Upto 5 per cent of sale proceeds in each scheme subject to a ceiling of Rs. 25 lakh exclusive of the foreign exchange for travel and advertisement will be released in foreign exchange to the builders towards expenses for marketing the houses including payment of commisnions and promotion of schemes on an international basis.

(vi) NRI's are also permitted to acquire, hold, transfer or dispose off properties by way of sale or inheritance, privided where properties are acquired by purchases they are for bonafide residential purpose of purchasers and the sale consideration is met out of foreign exchange. They will also be permitted to let out the properties on rent.

(vii Gifting of properties by NRIs to relativen will be freely permitted subject to taxation without the requirements of prior permission. NRIs can acquire upto two houses provided the purchase is effected with foreign exchange.

(viii) The required perminnion for purchase of the house under Section 269 UC of Income Tax Act will be given by the Income Tax Department within 15 days to 30 days.

आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना

1485. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये मकानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) का उत्तर "ना" में हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकवस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) डौर (ग) हुडको देश के ग्राबीण क्षेत्रों को मकान बनाने डौर उनके सुधार के लिए वित्त की व्यवस्था करता है लेकिन वास्तव निर्माण कायान्वयन ग्रभिकरणों ग्रर्थात् ग्रामीण ग्रावास बोर्डों, जिला बोर्ड, पंचायत, तालुका विकास बोर्डों ग्रादि द्वारा किया जाता है। 91–92 के दौरान हुडको ने देश के विभिन्न भागों में 21,63,87 रिहायशी एकक स्वीकृत किये। राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए हैं

विवरण

1991–92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हुडको द्वारा स्वीकृत रिहायशी एककों के राज्यवार ब्यौरे :–

सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत रिहायशी एकक
1.	आंध्र प्रदेश	1815
2.	आसाम	1825
3.	गुजरात	8573
4.	केरल	9150
5.	कर्नाटक	12019
6.	मेघालय	175
7.	महाराष्ट्र	4667
8.	ओड़ीसा	17000
9.	तमिलनाडु	22000
10.	उत्तर प्रदेश	68486
11.	पश्चिम बंगाल	7440

छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में आधारभूत सुविधायें

1486. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और आवास तथा शहरी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में स्थित बहुत से छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में बेहतर नागरिक तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार और आवास तथा शहरी विकास निगम ने कौन-कौन सी परियोजनायें आरम्भ की हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि रखी गई है; और

(घ) वर्ष 1992–93 के दौरान गुजरात में कितनी धनराशि खर्च की गई हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) (क) से (ग) छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के समन्वित विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना वर्ष 1979–80 में प्रारम्भ की गई थी। 1979–80 से 31–3–92 तक छोटे और मध्यम दर्जे के समन्वित विकास की योजना के अन्तर्गत 517 शहरों को शामिल किया गया है तथा विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को 176.17 रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक हुडको घटक सहित आई डी एस एम टी के संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को लागू दिशा निर्देशों के अनुरूप उस वित्त वर्ष के दौरान धनराशि की सुलभता के आधार पर समय-समय पर मंजूरी दी जाती है। 1992–93 के दौरान आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत 13 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये गये हैं।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

Pending cases with DDA for Allotment of flats

1487. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:
SHANKER DAVE:
SHANKER DAVE:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are tne canes which are pending with the Delhi Development